

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

---

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 17—जनवरी 23, 2016, शनिवार/पौष 27— माघ 3, 1937  
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 17—JANUARY 23, 2016, SATURDAY/PAUSA 27— MAGHA 3, 1937

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

---

भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2016

**सा.का.नि. 14.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय निरीक्षण निदेशालय (वर्ग - 3 अनुसचिवीय और अननुसचिवीय पद) नियम, 1962 को, जहाँ तक उसका संबंध आशुलिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में आशुलिपिक श्रेणी - 2 के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, डिस्पेन्सर (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2016 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**: पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति,—  
(क). जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या  
(ख). जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।  
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:  
परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
डिस्पेन्सर	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रुपये	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच <b>टिप्पण 1</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष (2) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 31 के खंड (ग) के अधीन यथा मान्यताप्राप्त अर्हित भेषजज हो। <b>टिप्पण 1</b> : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की	लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	जा सकती हैं।		
<b>टिप्पण 2</b> : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>टिप्पण 2</b> : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

<b>भर्ती की पद्धति:</b> भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के लिए वे विभिन्न प्रक्रिया जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :- केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी - (i) जो मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धरण किए हों ; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग में वेतनमन 5200-20200 रु + ग्रेड वेतन 1900 रु या समतुल्य में नियमित आधार पर आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो, और (iii) जो स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1 : संस्थान में कार्य करने वाले ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने वेतनमन 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो और स्तम्भ (7) में दर्शाई गयी अभिकथित अर्हता रखते हों पर भी विचार किया जाएगा, यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है, तो पद को आमेलन द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके आन्तरगत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	<b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:</b> 1. निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली - सदस्य	लागू नहीं।

[फा. सं. ए. 12018/02/2015- ईपीआई ]

बी. एल. मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

New Delhi, the 20th January, 2016

**G.S.R. 20.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, Dispenser (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dispenser in the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli, Ministry of Health and Family Welfare, Dispenser, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.-** The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.-** No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dispenser.	1 * (2016) * Subject to variation depending on workload.	General Central Services, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Pay band -1, Rs.5200-20200 plus grade pay Rs.2400/-.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years.  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	1. 12 <sup>th</sup> Class Pass or equivalent from a recognised Board; and 2. qualified Pharmacist as recognised under clause (c) of Section 31 of the Pharmacy Act, 1948.  Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in case of candidates otherwise well qualified for reasons to be recorded in writing.  Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates	Not applicable.

Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates with the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	
--	--	--

Period of promotion if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years for direct recruits .	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.	<p><b>Deputation/absorption.-</b></p> <p>The Officers under the Central or the State Governments.-</p> <p>i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre; or</p> <p>ii) with eight years regular services on regular basis in the parent cadre in the scale of Rs. 5200-20200 with grade pay 1900/- or equivalent, and</p> <p>iii) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p><b>Note 1.-</b>The departmental candidate working in the institution and possessing the qualification as laid down in column (7) with eight years regular service in the scale of Rs.5200-20200 plus grade pay 1900/- shall also be considered and in case he is selected for appointment to the post, it would be treated as having been filled by absorption.</p> <p><b>Note 2.-</b>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately in the same organisation/ Department shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p><b>Group “C” Departmental Promotion Committee consisting of:-</b></p> <p>i) Director, Central Research Institute, Kasauli : Chairman</p> <p>ii) Deputy Director, Central Research Institute, Kasauli : Member</p> <p>iii) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli : Member</p>	Not applicable.

[F. No. A.12018/02/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.